तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 2006 / 3686 / नागौर** **दयाराम बनाम क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको लि.**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकल–पीठ **श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य** **उपस्थित :–** श्री ओ.एल. दवे, अभिभाषक प्रार्थी श्री एस.के. शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी **दिनांक : 30 दिसम्बर, 2021** **निर्णय** 1– यह निगरानी अन्तर्गत धारा–230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत न्यायालय सहायक कलेक्टर (उप खण्ड अधिकारी), नागौर के आदेश दिनांक 4–5–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध अप्रार्थी/प्रतिवादीगण न्यायालय सहायक कलेक्टर (उप खण्ड अधिकारी), नागौर के यहां आराजी खसरा नम्बर–170/51 रकबा 13 बीघा 7 बिस्वा ग्राम मानासर बाबत किया। दौराने वाद प्रार्थी/वाद ने एक प्रार्थना पत्र आदेश–26 नियम–9 सपठित धारा–151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इस मामले में नागौर क्षेत्र की इण्डस्ट्रीयल एरिया बासनी रोड़ के पास स्थित औद्योगिक इकाइयों की पानी की निकासी हेतु प्रस्तावित नाला का विवाद है, जिसको प्रतिवादी, वादी/प्रार्थी की खातेदारी के खेत में तथा वादी के खेत व राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि मे से निकालना चाहते हैं, जिसके लिये प्रतिवादीगण निर्माण कराना चाहते है। प्रतिवादीगण ने वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी अपने खेत व आम सड़क के मध्य सरकारी भूमि पर नाला निर्माण कराने से प्रतिवादी संख्या–1 को रूकवा नहीं सकता। अतः वादी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। जिस पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन नहीं करते हुये मात्र सरसरी तौर पर ही वादी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अपने आदेश दिनांक 4–5–2006	

<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

<u>निगरानी / टीए / 2006 / 3686 / नागौर</u>
दयाराम बनाम क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको लि.</td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td></td><td>के द्वारा खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3- बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

4- प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बहस की कि न्यायालय सहायक कलेक्टर (उप खण्ड अधिकारी), नागौर द्वारा पारित आदेश कानून एवं मिसल पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्य के विपरीत होने के कारण प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मात्र इस आधार पर कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ इस बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य अथवा सबूत प्रस्तुत नहीं किया है, खारिज कर दिया। जबकि सभी तथ्य व साक्ष्य अपने वाद के साथ प्रस्तुत किये थे, इसके बावजूद भी सरसरी तौर पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय ने महत्वपूर्ण कानूनी त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर न्यायालय सहायक कलेक्टर (उप खण्ड अधिकारी), नागौर का निर्णय दिनांक 4-5-2006 को निरस्त किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 29-4-2005 को स्वीकार किये जाने के आदेश फरमावें।

5- अप्रार्थी ने बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि आदेश-26 नियम-9 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र के माध्यम से मौका रिपोर्ट मंगवाकर अतिरिक्त साक्ष्य का सृजन नहीं किया जा सकता है। वादी का दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा-188 के अन्तर्गत है जिसे उन्हें स्वयं को साबित करना होगा। प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर (उप खण्ड अधिकारी), नागौर ने अपने आलोच्य आदेश दिनांक 4-5-2006 द्वारा विधिसम्मत तरीके से अस्वीकार किया है। उक्त निर्णय विधिसम्मत होने के कारण पोषणीय है। अन्त में उन्होंने निगरानी को सारहीन होने के कारण खारिज करने का निवेदन किया।

6- हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया</td><td></td></tr>
</table>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 2006 / 3686 / नागौर** **दयाराम बनाम क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको लि.**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया। 7– पत्रावली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि निगरानीकर्ता ने अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक दावा अन्तर्गत धारा–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत किया था जिसमें तनकियात कायम हो चुकी है और साक्ष्य में चल रहा था। इस बीच एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–26 नियम–9 सीपीसी निगरानीकर्ता ने प्रस्तुत कर मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट मंगवाने की प्रार्थना की जिसका अप्रार्थीगण द्वारा विरोध किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र अपने विस्तृत निर्णय दिनांक 4–5–2006 द्वारा अस्वीकार कर दिया। विधि का यह सुस्थापित मत है कि दावे को सिद्ध करने का उत्तरदायित्व वादी का है। वह मौका कमिश्नर नियुक्त करवा कर अतिरिक्त साक्ष्य सृजित नहीं करवा सकता है। इसलिये आदेश–26 नियम–9 सीपीसी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से न्यायालय सहायक कलेक्टर (उप खण्ड अधिकारी), नागौर ने अपने आदेश दिनांक 4–5–2006 द्वारा उसे विधिसम्मत तौर पर खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय विधिसम्मत, न्यायसंगत तथा तर्कसंगत होने के कारण पोषणीय है। निगरानी में कोई सारभूत व ठोस तथ्य नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। 8– अतः उपर्युक्त विवेचन के अनुसार यह निगरानी सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर (उप खण्ड अधिकारी), नागौर का आदेश दिनांक 4–5–2006 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(हरि शंकर गोयल)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टीए / 2006 / 3686 / नागौर</u>** **दयाराम बनाम क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको लि.**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए